

योजना का नाम	पात्रता	देय राशि
मातृत्व/पितृत्व प्रसुविधा (रूल-271)	दो माह की सदस्यता	<p>1.पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मुबलिंग 25,000 /-(पच्चीस हजार) रुपये की राशि प्रदान की जाती है।</p> <p>2. पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश की राशि प्रदान की जाती है।</p> <p>3. पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक मु0 6000 /- (छः हजार रुपये प्रति प्रसव की राशि प्रदान की जाती है।</p> <p>4. पुरुष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर मु0 1000 /- की राशि प्रदान की जाती है।</p>

Maternity Benefit On Child Birth [Rule No.-271]	पंजीकृत महिला लाभार्थी को प्रसव अवधि के समय अथवा बच्चे के जन्म पर मु. 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
Paternity Benefit On Child Birth [Rule No.-271]	पंजीकृत कर्मकार की पत्नी को दो प्रसवों तक मु. 6000/- (छः हजार) रूपये प्रति प्रसव की राशि प्रदान की जाती है।
Paternity Benefit After Child Birth [Rule No.-271]	पुरुष लाभार्थी को पितृत्व सुविधा के तहत बच्चे के जन्म पर मु. 1000/- की राशि प्रदान की जाती है।
Maternity Wages Benefit [Rule No.-271]	पंजीकृत महिला को दो प्रसवों तक समय-समय पर प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से 90 दिन से 26 सप्ताह तक के लिए मातृत्व अवकाश की राशि प्रदान की जाती है।